तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19-4-18	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है। और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एंव सम्मन जारी होकर दिनांक 31-5-18 को पेश हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
31-5-18	पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अत: पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 6-8-18 को पेश हो। उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
03-8-18	वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। वादीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा॰ दी॰ सपठित धारा 151 जा॰ दी॰ प्रस्तुत कर कथन किए कि वादीगण वादपत्र पर आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद विड्रो करना चाहते हैं। उपस्थित वादीगण को प्रा॰पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। बाद समझने, वाद विड्रो किया जाना स्वीकार किया। उक्त आशय के हस्ताक्षर —लगातार...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27/2018

रमजानी व अन्य vs हैदर व अन्य

--लगातार-----वादीगण से करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता ने अंकित की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है तथा तलबी में है। वादी अपने वाद को विड्रो करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वाद विड्रो की अनुमति दी जाती है एवं वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, ब्यावर